रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2006/चैत्र 9, 1928
No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2006/CHAITRA 9, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

(आय-कर)

का.आ. 459(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (48) और धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (iiiक) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

' जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

8ख. (1) किसी अवसंश्चना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा धारा 2 के खंड (48) के अधीन उसके द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए कोई आवेदन ऐसे बंधपत्र के जारी करने की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व प्ररूप सं0 5ख में किया जाएगा :

परन्तु उस वित्त वर्ष के जिसमें आवेदन किया गया है, अनुवर्ती दो वित्तीय वर्षों के पश्चात् जारी किए जाने वाले बंधपत्र की अधिसूचना के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :-

(i) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी है, किया गया है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति ;

(ii) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की प्रति ;

(iii) जहां आवेदन किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा, जो केन्द्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन स्थापित कोई निगम है, किया जाता है वहां सुसंगत अधिनियम की प्रति ;

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जीरो कूपन बंधपत्र विनिर्दिष्ट करते समय स्वयं का यह समाधान करेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हैं, अर्थात् :-

(i) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि दस वर्ष से अन्यून और बीस वर्ष से अनधिक है,

(ii) अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी के पास जो जीरो कूपन बंधपत्र का प्रस्ताव कर रही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो प्रत्यय मूल्यांकन अभिकरणों से कोई विनिधान श्रेणी मूल्यांकन है ;

(iii) अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन

बंधपत्र को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है ;

(iv) जहां आवेदन अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया गया है, वहां ऐसी कंपनी या निधि आवेदन के साथ एक वचनबंध प्रस्तुत करेगी कि उसके द्वारा जीरो कूपन बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किए गए धन का निम्नलिखित रीति में विनिधान किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी वसूली का पच्चीस प्रतिशत या अधिक ;

(ii) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् चार वित्त वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी वसूली का अतिशेष ;

(v) जहां पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा कोई आवेदन किया गया है वहां ऐसी कंपनी आवेदन के साथ ऐसा वचनबंध प्रस्तुत करेगी कि जीरो कूपन बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किए गए धन का उसके द्वारा निम्नलिखित रीति में विनिधान या उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी वसूली का पन्द्रह प्रतिशत या अधिक ;

(ii) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् छह वित्त वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी वसूली का अतिशेष ;

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करेगी, अर्थात् :-

(क) बंधपत्र का नाम ;

(ख) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि ;

(ग) बंधपत्र के जारी करने की समय अनुसूची ;

(घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदत्त की जाने वाली रकम ;

(ङ) छूट ;

(च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या ;

(5) केन्द्रीय सरकार, यदि आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचना के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगी ।

(6) प्रत्येक अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी, यथास्थिति, उपनियम (3) के खंड (iv) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपनियम (3) के खंड (v) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो मास के भीतर धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल से प्रत्येक वर्ष में विनिधान की गई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार को, अधिसूचना को वापस लेने की शक्ति होगी यदि आवेदक उपनियम (3) या उपनियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए " छूट" और " बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि" पदों के वही अर्थ होंगे जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iiiक) के स्पष्टीकरण में क्रमश: हैं ।

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii क) के प्रयोजन के लिए जीरो कूपन बंधपत्र पर छूट की यथाअनुपात रकम की संगणना.

8ग. धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii क) के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन बंधपत्र पर छूट की यथाअनुपात रकम की संगणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात :-

(क) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि कलैंडर मासों की संख्या में संपरिवर्तित हो जाएगी और इस प्रयोजन के लिए वहां उस कलैंडर मास में जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है या बंधपत्र परिपक्व हो जाता है या मोचन होता है, कलैंडर मास का भाग भी होगा तब, यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन या पन्द्रह दिन से अधिक का है तो उसे बढ़ाकर एक कलैंडर मास कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन से कम है तो उसे संगणना में नहीं लिया जाएगा,

(ख) छूट की रकम को कलैंडर मास की संख्या में खंड (क) के अनुसार विभाजित किया जाएगा,

(ग) जहां गत वर्ष में खंड (क) के अनुसार अवधारित कलैंडर मासों में से एक या अधिक कलैंडर मास सम्मिलित किया जाता है या सम्मिलित किए जाते हैं वहां खंड (ख) के अनुसार अवधारित रकम में कलैंडर मास की संख्या से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार गुणा करके आई रकम को गत वर्ष के लिए छूट की यथाअनुपात रकम के रूप में लिया जाएगा।'

(ख) परिशिष्ट- II में प्ररूप संख्यांक 5क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'प्ररूप सं० 5ख

(नियम 8ख देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (48) के अधीन जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम

2. प्रवर्ग (कृपया एक पर निशान लगाएं) अवसंरचना पूंजी कंपनी / अवसंरचना पूंजी निधि / पब्लिक सैक्टर कंपनी

3. आवेदक का पता

4. आवेदक का **स्थायी लेखा** संख्या

5. निर्धारण **अधिकारी** जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक का निर्धारण किया गया है / आयकर के लिए निर्धारण योग्य है ।

6. निगमन / रजिस्ट्रीकरण की तारीख (कृपया निगमन/ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

7. आवेदक का **उद्देश्य** (कृपया ज्ञापन / न्यास विलेख आदि की प्रति संलग्न करें) -

   (क) मुख्य उद्देश्य

   (ख) आनुषंगिक उद्देश्य

8. जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित बंधपत्रों की कुल संख्या

9. वह रकम जिसके लिए बंधपत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है ।

10. बंधपत्र की **परिपक्वता** / मोचन के लिए संदेय रकम

11. छूट [(10)-(9)]

12. बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि

13. वह अवधि जिसके दौरान बंधपत्र जारी किए जाने हैं

14. बंधपत्र जारा करने के उद्देश्य

15. अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि की दशा में -

(क) उस उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों का नाम जिनमें विनिधान किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) (क) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कारबार की प्रकृति ;

(ग) क्या (क) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों को धारा 10 के खंड (23छ) के अधीन तत्समय के लिए अनुमोदित किया गया है, यदि हां, तो कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें ,

(घ) क्या (ग) में निर्दिष्ट अनुमोदन किसी विशिष्ट रकम के विनिधान / परियोजना की लागत के लिए है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।

16. पब्लिक सैक्टर कंपनी की दशा में -

(क) कारबार की प्रकृति ;

(ख) कंपनी के कारबार में किए जाने के लिए प्रस्तावित विनिधान की दशा में, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(ग) किसी अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक

सेक्टर कम्पनियों या उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित विनिधान की दशा में, कृपया उसके ब्यौरे दें ;

(घ) (ग) में निर्दिष्ट पब्लिक सैक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर कम्पनियों या उद्यम या उद्यमो या उपक्रम या उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कारबार की प्रकृति ;

(ङ) क्या (ग) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमो या उपक्रम या उपक्रमों को तत्समय धारा 10 के खंड (23छ) के अधीन तत्समय के लिए अनुमोदित किया गया है, यदि हां तो, कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें ;

(च) क्या (ङ) में निर्दिष्ट अनुमोदन किसी विशिष्ट रकम के विनिधान /परियोजना की लागत के लिए है, यदि हां तो उसके ब्योरे दें ।

17. परियोजना / परियोजनाओं की अवस्थति जिनमें विनिधान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

18. लगभग वर्ष वार विनिधान जो किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

19. विनिधान के स्रोत (बंधपत्र से भिन्न) यदि कोई हो

20. परियोजना / परियोजनाओं के विकास की अनुसूची

(क) प्रारंभ की आयोजित तारीख

(ख) परियोजना के प्रचालन के प्रारंभ की आयोजित तारीख

21 परियोजना के निष्पादन के लिए दायी प्रबन्धन के ब्यौरे :

(क) निदेशकों, न्यासियों आदि के नाम, उनके अनुभव, अर्हताएं और अनुपालन सहित,

(ख) अन्य मुख्य कार्मिकों के नाम, उनकी अर्हता और अनुभव सहित ।

(ग) संगठनात्मक संरचना

(घ) निधि की दशा में आस्ति प्रबंधन कंपनी की विशिष्टियां

22. परियोजना रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो

(स्तंभ या स्तंभों के सामने जो आवेदक से सुसंगत नहीं हैं, " लागू नहीं होता" लिखें)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । मैं ————————(आवेदक का नाम लिखे) के निमित्त वचनबंध करता हूं कि ऐसे बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किया गया धन, आयकर नियम, 1962 के नियम 8ख के उपनियम (3) के खंड (4) या खंड (5) के अनुसरण में विनिधान किया जाएगा ।

———————————

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण - आवेदक द्वारा आवेदक प्ररूप में यथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्ररूप (दो प्रतियों में) बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।'

[अधिसूचना सं. 93/2006/फा. सं. 142/28/2005/टी.पी.एल.]
शरत चंद्रा, निदेशक

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अन्तिम संशोधन सं. का.आ. 358(अ), तारीख 17 मार्च, 2006 को किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2006

(Income-tax)

S.O. 459(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with clause (48) of Section 2 and clause (iiia) of Sub-section (1) of Section 36 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2006.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) after rule 8A, the following rules shall be inserted, namely:-

'**Guidelines for notification of zero coupon bond.**

8B (*1*) An application by an infrastructure capital company or infrastructure capital fund or a public sector company for notification under clause (48) of section 2 of any zero coupon bond proposed to be issued by it shall be made in Form No. 5B at least three months before the date of issue of such bond:

Provided that an application shall not be made for notification of a bond to be issued after two financial years following the financial year in which the application is made.

(2) Every application, under sub-rule (1), shall be accompanied by the following documents, namely:-

(i) where the application is made by any infrastructural capital company or a public sector company, being a government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), a copy of certificate of incorporation under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ii) where the application is made by any infrastructure capital fund, a copy of the trust deed registered under the provisions of the Registration Act, 1908 (16 of 1908);

(iii) where the application is made by a public sector company, being any corporation, established by or under any Central or State or Provincial Act, a copy of the relevant Act;

(3) The Central Government, while specifying a zero coupon bond by notification in the Official Gazette shall satisfy itself that the following conditions are fulfilled, namely:-

(i) the period of life of the bond is not less than ten years and not more than twenty years;

(ii) the infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company proposing to issue a zaro coupon bond has an investment grade rating from at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(iii) necessary arrangement has been made by the infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company for listing the zero coupon bond in a recognised stock exchange in India;

(iv) where the application is made by the infrastructural capital company or infrastructure capital fund, such company or fund shall furnish along with the application an undertaking that the money realised on issue of the zero coupon bond shall be invested by it in the following manner, namely:-

(i) twenty-five per cent. or more of such realisation before the end of the financial year immediately following the financial year in which the bond is issued;

(ii) the balance of such realisation within a period of four financial years immediately following the financial year in which the bond is issued;

(v) where the application is made by a pubic sector company, such company shall furnish along with the application an undertaking that the money realised on issue of the zero coupon bond shall be invested or utilised by it in the following manner, namely:-

(i) fifteen per cent. or more of such realisation before the end of the financial year immediately following the financial year in which the bond is issued;

(ii) the balance of such realisation within a period of six financial years immediately following the financial year in which the bond is issued;

(4) The Central Government, after having satisfied itself about fulfilling of the conditions referred to in sub-rule (1), sub-rule (2), and sub-rule (3) shall specify the bond, by notification in the Official Gazette, giving therein, inter-alia, the following particulars, namely:-

(a) name of the bond;
(b) period of life of the bond;
(c) the time schedule of the issue of the bond;
(d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond;
(e) the discount;
(d) the number of bonds to be issued;

(5) The Central Government may, if the applicant fails to fulfil the conditions referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), reject the application for notification after giving an opportunity of being heard to the infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company, as the case may be.

(6) Every infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company shall submit within two months from the end of each financial year referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (iv) of sub-rule (3), or as the case may be, in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (v) of sub-rule (3), a certificate from an accountant as defined in the Explanation to sub-section (2) of section 288, specifying the amount invested in each year.

(7) The Central Government shall have the power to withdraw the notification if the applicant fails to fulfil any of the conditions referred to in sub-rule (3) or sub-rule (6).

Explanation. - For the purpose of this rule, the expressions "discount" and "period of life of the bond" shall have the same meanings respectively assigned to them in clause (i) and clause (ii) of the Explanation to clause (iiia) of sub-section (1) of section 36.

Computation of pro-rata amount of discount on a zero coupon bond for the purpose of clause (iiia) of sub-section (1) of section 36.

8C. For the purposes of clause (iiia) of sub-section (1) of section 36, the pro-rata amount of discount on a zero coupon bond shall be computed in the following manner, namely:-

(a) the period of life of the bond shall be converted into number of calendar months and, for this purpose, where the calendar month in which the bond is issued or the bond matures or is redeemed contains a part of a calendar month then, if such part is fifteen days or more than fifteen days, it shall be increased to one calendar month and if such part is less than fifteen days it shall be ignored;

(b) the amount of discount shall be divided by the number of calendar months determined in accordance with clause (a);

(c) where one or more than one calendar month out of calendar months determined in accordance with clause (a) is or are included in a previous year, the amount determined in accordance with clause (b) shall be multiplied by the number of calendar months so included and the amount so arrived at shall be taken to be the pro-rata amount of discount for that previous year.'

(b) In Appendix-II, after Form No. 5A, the following Form shall be inserted, namely:-

'FORM NO. 5B

[*See* rule 8B]

Application for notification of a zero coupon bond under clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the applicant

2. Category (*Please tick one*): Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Public sector company

3. Address of the applicant

4. Permanent Account Number of the applicant

5. Assessing Officer under whose jurisdiction the applicant is assessed/ assessable to income-tax

6. Date of incorporation/ registration (Please enclose copy of certificate of incorporation/ registration

7. Objects of the applicant (Please enclose copy of Memorandum/ Trust deed, etc.)
   (a) main objects
   (b) ancillary objects

8. The total number of bonds proposed to be issued

9. Amount for which the bond is proposed to be issued

10. Amount payable on maturity/ redemption of the bond

11. Discount [(10) – (9)]

12. Period of life of the bond

13. The period during which the bonds are to be issued.

14. The objects of issue of the bonds

15. In case of infrastructure capital company or infrastructure capital fund -
   (a) the name of enterprise or enterprises or undertaking or undertakings in which investment is proposed to be made;
   (b) nature of business carried on by the enterprise or enterprises or undertaking or undertakings referred to in (a);
   (c) whether the enterprise or enterprises or undertaking or undertakings referred to in (a) is, for the time being, approved under clause (23G) of section 10, if yes, please attach copy of the approval;
   (d) whether approval referred to in (c) is for any particular amount of investment/ cost of project, if yes, furnish the details thereof.

16. In case of public sector company -
   (a) the nature of business;
   (b) in case investment is proposed to be made in the business of the company, please furnish details thereof;
   (c) in case investment is proposed to be made with another public sector company or public sector companies or enterprise or enterprises or undertaking or undertakings, please furnish the details thereof;

(d) nature of business carried on by the public sector company or public sector companies or the enterprise or enterprises or undertaking or undertakings referred to in (c);

(e) whether the enterprise or enterprises or undertaking or undertakings referred to in (c) is, for the time being, approved under clause (23G) of section 10, if yes, please attach copy of the approval;

(f) whether approval referred to in (e) is for any particular amount of investment/ cost of project, if yes, furnish the details thereof.

17. Location of project/ projects in which investment is proposed to be made

18. Approximate year wise investment required to be made

19. Sources of investment (other than the bonds), if any

20. Schedule of development of project/ projects
    (a) planned date of commencement.
    (b) planned date of commencement of operations of the project

21. Details of management responsible for execution of project:
    (a) name of directors, trustees, etc., with their experience, qualifications and performance.
    (b) name of other key personnel with their qualification and experience.
    (c) organisational structure.
    (d) particulars of Asset Management Company in case of a fund.

22. Copy of the project report, if any

(Write "not applicable" against the column or columns which are not relevant to the applicant.)

I certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief. I undertake on behalf of _____ (write the name of the applicant) that the money realised on issue of such bond shall be invested in accordance with clause (iv) or clause (v) of sub-rule (3) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962.

.....

Signature of the authorised signatory

Note: The application form (in duplicate) should be sent to the Board by the applicant alongwith the documents as required in the application form.'

[Notification No. 93/2006/ F. No. t42/28/2005-TPL]

SHARAT CHANDRA, Director

Note : The Principal rules were published *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification No. S.O. 358(E), dated the 17th March, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.